

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की -4(1) बी के अन्तर्गत 17 बिन्दुओं की सूचनाये

क्र०	बिन्दु	आख्या
(i)	अपने संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य;	जे०के० कैंसर संस्थान राज्य सरकार का हास्पिटल है
(ii)	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य;	मांगी गयी सूचना को सम्बन्धित विभाग से प्राप्त करके आवेदक को पहुँचाना
(iii)	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं;	सम्बन्धित विभागों एवं उपलब्ध अभिलेखों द्वारा ही सूचना प्रेषित की जाती है।
(iv)	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान;	सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध अभिलेखों द्वारा ही सूचना प्रेषित की जाती है।
(v)	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख;	सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की गाइड लाइन के अनुसार
(vi)	ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण;	सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की गाइड लाइन के अनुसार
(vii)	किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं;	इंस्टीट्यूशनल बोर्ड द्वारा सलाह भी ली जाती है, जिसमें निदेशक, सी०एम०एस० भी सम्मिलित हैं।
(viii)	ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठक जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी, विवरण;	सूचना फाइनल रूप में आवेदक को दी जाती है।
(ix)	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशिका;	सूचना अधिकार अधिनियम 2005
(x)	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबन्धित हो;	कोई पारिश्रमिक अनुमन्य है।
(xi)	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट;	कोई अलग से बजट आवंटित नहीं होता है।
(xii)	राहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं;	कोई अलग से बजट आवंटित नहीं होता है।
(xiii)	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ;	कोई अलग से बजट आवंटित नहीं होता है।
(xiv)	किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों;	कोई अलग से बजट आवंटित नहीं होता है।
(xv)	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं;	नागरिक कार्य अवधि में सूचना प्राप्त कर सकते हैं।
(xvi)	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ;	डॉ० प्रमोद सिंह, सी०एम०एस० प्रथम अपीलीय अधिकारी, डॉ० वसीम रजा, सह आचार्य, जनसूचना अधिकारी, डॉ० एस.एन. प्रसाद, निदेशक जे०के०कैंसर संस्थान, कानपुर।
(xvii)	ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए, प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा;	नयी सूचनाएँ एवं अन्य बदलाव समय-समय पर अपलोड भी की जायेगी।

०६/०५/२०२०